अध्याय VII

अनुपालन लेखापरीक्षा

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय VII

अनुपालन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के चार पैराग्राफ शामिल हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ संस्वीकृत लागत से अधिक किये गये व्यय, अतिरिक्त व्यय की गैर-वसूली, प्रशासनिक ओवरहेडों की कम वसूली और अनुमोदित लागतों से अधिक में निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबंधित हैं। इन टिप्पणियों का मौद्रिक निहितार्थ ₹16.96 करोड़ है।

लोक निर्माण विभाग

जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

7.1 एक पुल के निर्माण पर संस्वीकृत लागत से अधिक किया गया व्यय

जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड ने संस्वीकृत लागत में एक पुल के निर्माण कार्य और संबद्ध कार्यों को प्रतिबंधित नहीं किया, जिसका परिणाम निर्माण कार्य पर किए गए ₹1.88 करोड़ के व्यय की गैर-वसूली के रूप में हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा जिला जम्मू की तहसील अखनूर के गांवों[1] के लिए संयोजकता उपलब्ध कराने हेतु *मैरी मेंद्रैया* में चिनाब नदी के ऊपर पुल के निर्माण को अनुमोदन[2] प्रदान किया (जुलाई 2005) गया। मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) को कार्य निष्पादित करना था। कंपनी ने ₹17.50 करोड़ का प्रारंभिक लागत-प्रस्ताव (नवंबर 2005) प्रस्तुत किया जिसे बाद में, प्रस्ताव के स्टील आर्क पुल से कंक्रीट पुल में बदलाव के कारण, ₹22.84 करोड़ तक (फरवरी 2007) बढ़ा दिया गया था। तत्पश्चात्, भारत सरकार (जीओआई) ने केंद्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) के अधीन ₹21.82 करोड़ की अनुमानित लागत पर *मैरी मेंद्रैया* में चिनाब नदी के ऊपर संतुलित

---

1 बाला, बालगढ़, बरूई, चखर, गोर्ड, ग्रात्तल, करेफल लस्सू, मजूर मैंद्रियान, नूर, पियां, रंगनी, तचारवान, तुंग इत्यादि।

2 2005 का आदेश संख्याः 245-पीडब्ल्यू (आरएण्डबी) दिनांक 07 जुलाई 2005

कैंटीलीवर प्री-स्ट्रैस्ड कंक्रीट ब्रिज के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन (सितंबर 2007) प्रदान किया।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण (आरएण्डबी) विभाग, जम्मू (परियोजना प्राधिकारी) ने अंततः एकमुश्त संविदा के आधार पर कंपनी को पुल के निर्माण का कार्य ₹21.82 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर आबंटित (मार्च 2008) किया। कंपनी ने पुल का निर्माण अक्टूबर 2008 में आरंभ किया। तत्पश्चात्, कंपनी ने कार्य के लिए अनुमोदित अनुमानित लागत, ₹21.82 करोड़ के प्रति ₹24.25 करोड़ की संशोधित लागत प्रस्तुत (जून 2010) की। बढ़ी हुई लागत परियोजना प्राधिकारी द्वारा (मई 2011) यह कहते हुए स्वीकार नहीं की गई थी कि पुल की संस्वीकृति सीआरएफ के तहत भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई थी और कंपनी द्वारा अग्रिम निधियों की मनमाने ढंग से मांग की जा रही थी। कंपनी को तथ्यात्मक और किये गये/ वास्तविक कार्य के आधार पर नया लागत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2018) से प्रकट हुआ कि कंपनी ने कुल ₹22.01 करोड़[3] की राशि प्राप्त की थी, और कंपनी अभिलेखों के अनुसार निष्पादित कार्य का मूल्य ₹23.89 करोड़ (मार्च 2020) था। यह कंपनी द्वारा प्राप्त राशि से ₹1.88 करोड़[4] (8.5 प्रतिशत) तक अधिक था। कंपनी ने परियोजना के समापन हेतु परियोजना प्राधिकारी से ₹2.24 करोड़[5] की अतिरिक्त निधियों की पुनः मांग (नवंबर 2014) की। हालांकि, परियोजना प्राधिकारी ने कंपनी को सूचित (नवंबर 2014) किया कि पूर्ण औचित्य सहित लागत वृद्धि के मद-वार/ घटक-वार विवरण प्रस्तुत करने के अध्यधीन, सीआरएफ के दिशानिर्देशों के अंतर्गत केवल संस्वीकृत लागत (₹21.82 करोड़) के दस प्रतिशत की अतिरिक्त मांग अनुमत्य थी। कंपनी ने, पुल की सुपुर्दगी (दिसंबर 2012) की तिथि से 87 महीनों से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी, लागत वृद्धि हेतु औचित्य (मार्च 2020) उपलब्ध नहीं कराया जिसने परियोजना प्राधिकारी द्वारा निधियों को निर्गत नहीं करने का मार्ग प्रशस्त किया।

---

[3] परियोजना प्राधिकारी ने प्रारंभिक रूप से सीआरएफ के तहत (2008) किए गए कार्य के आबंटन से पूर्व (2006-2007) तक ₹1.80 करोड़ और कार्य के आबंटन के उपरांत 2012 तक ₹20.21 करोड़ की राशि निर्गत की थी।

[4] ₹23.89 करोड़ के किए गए कार्य का मूल्य तथा ₹22.01 करोड़ की प्राप्त निधियों का अंतर।

[5] ₹24.25 करोड़ की संशोधित लागत तथा ₹22.01 करोड़ की प्राप्त निधियों का अंतर।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा किए गए कार्य के मूल्य को संस्वीकृत लागत के अंतर्गत प्रतिबंधित करने और संस्वीकृत लागत के दस प्रतिशत पर लागत वृद्धि के लिए औचित्य उपलब्ध करवाने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.88 करोड़ की गैर-वसूली हुई।

उत्तर में उप महाप्रबंधक इकाई 7, जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम, जम्मू ने पुष्टि की (जुलाई 2018) कि परियोजना प्राधिकारी ने ₹24.25 करोड़ की संशोधित लागत के प्रति ₹22.01 करोड़ की राशि की निधियाँ निर्गत की थी तथा ₹2.24 करोड़ की मांग की गई थी। आगे यह भी कहा गया था कि परियोजना की संस्वीकृत लागत से अधिक लागत, सेवा कर में 4.2 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत तक की बढोतरी[6] और श्रम उपकर लगाने के कारण हुई।

जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, परियोजना प्राधिकारी (मार्च 2008) के निर्देशों के अनुसार, परियोजना लागत ₹21.82 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, के बावजूद भी, कंपनी ने कार्य निष्पादित किया और ₹23.89 करोड़ का व्यय किया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अभी तक लागत वृद्धि प्राप्त करने एवं कार्य को पूरा करने के लिए पूर्ण औचित्य सहित, लागत बढ़ोतरी का मद-वार/ घटक-वार विवरण प्रस्तुत (मार्च 2020) नहीं किया है।

यह मामला अप्रैल 2020 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था; उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

यह अनुशंसा की जाती है कि कंपनी द्वारा शुरू किये गये निर्माण कार्यों को संस्वीकृत लागत के अंदर निष्पादित किया जाना चाहिए।

7.2 पुल के निर्माण पर किए गए अधिक व्यय की वसूली नहीं करना

जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड ने संशोधित लागत प्रस्तावों के अनुमोदन और निधियों का निर्मोचन सुनिश्चित किए बिना दरहाली नाला, उज्हान (राजौरी) के ऊपर एक पुल का निर्माण किया, जिसका परिणाम ₹6.85 करोड़ के प्रतिपूर्ति नहीं हुये व्यय के रूप में हुआ।

लोक निर्माण विभाग, परियोजना प्राधिकरण (पीए) ने जिला राजौरी के गांवों[7] की स्थानीय आबादी को पहुँच उपलब्ध कराने के लिए, ₹3.00 करोड़[8] की अनुमानित

6 4.2 प्रतिशत से 8.4 प्रतिशत और फिर 8.4 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत।

7 धंडकोट, कासियां और दन्ना, खुर्द, लीरन, मधून, मलूथ, नादियां और उज्हान।

8 पुलः ₹1.50 करोड़; अप्रोच रोड़ः ₹1.50 करोड़।

लागत पर उज्हान (राजौरी) में दरहाली नाला के ऊपर अप्रोच सड़कों सहित सिंगल लेन स्टील सुपर-स्ट्रक्चर पुल के निर्माण का कार्य जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) को (अप्रैल 1998) सौंपा। इस कार्य को संविदा आबंटन (अक्टूबर 2000) से 30 महीनों के भीतर पूरा किया जाना था।

कंपनी ने परियाजना प्राधिकरण को परियोजना के दो संशोधित लागत प्रस्ताव (जून 2004 और जुलाई 2009 के बीच) प्रस्तुत किए जैसा कि तालिका 7.2.1 में दिया गया है। जून 2012 में कार्य की परिधि 162 मीटर सिंगल लेन से 178 मीटर (44.5 मी x 4) स्पैन सिंगल लेन ब्रिज के रूप में संशोधित की गयी और लागत को आगे ₹13.75 करोड़ तक संशोधित किया जाना था। परियोजना प्राधिकरण द्वारा संशोधित लागत प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित (जून 2019) नहीं किए गए थे।

तालिका 7.2.1: जेकेपीसीसी द्वारा परियोजना के आवधिक लागत संशोधन

विवरण	प्रस्ताव की तारीख	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
(ए)	(बी)	(सी)
प्रारंभिक प्रस्ताव	अप्रैल 1998	3.00
प्रथम संशोधन	जून 2004	7.12
द्वितीय संशोधन	जुलाई 2009	10.72
तृतीय संशोधन	जून 2012	13.75

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से (अक्टूबर 2018) निम्नलिखित पता चलाः

- यद्यपि, संशोधित प्रस्ताव संस्वीकृत नहीं किए गए और पर्याप्त निधियाँ निर्गत नहीं की गयी थी (वर्ष 2011-12 तक केवल ₹1.55 करोड़[9] निर्गत किए गए), कंपनी ने ₹3.40 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर पुल के सब-स्ट्रक्चर का कार्य आरंभ (जनवरी 2011) कर दिया और मई 2011 में पूरा कर लिया।
- परियोजना प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से वित्त पोषण के अंतर्गत ₹6.70 करोड़ की लागत पर पुल के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन (एए) सूचित (फरवरी 2013) किया था। परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित करता था कि कार्य नाबार्ड प्राधिकरण द्वारा निधियों को प्राधिकृत करने के पश्चात् ही कार्यान्वयन हेतु लिया जाएगा।

[9] 2003-04: ₹0.05 करोड़; 2010-11: ₹0.50 करोड़ तथा 2011-12: ₹ एक करोड़।

- सुपर स्ट्रक्चर को सम्मिलित करते हुए पुल का शेष कार्य ₹5.75 करोड़ की अनुमानित लागत पर मैसर्स ए. के. कंस्ट्रक्शन्स (संविदाकार) को आबंटित (अक्टूबर 2014) किया गया था। कार्य, संविदाकार द्वारा मार्च 2015 में आरंभ किया गया था और इसे सितंबर 2016 में पूरा किया गया। कंपनी द्वारा किए गए कार्य का कुल मूल्य ₹8.40 करोड़ बुक किया गया था।
- यद्यपि, परियोजना प्राधिकरण द्वारा आगे कोई निधि निर्गत नहीं की गयी थी, कंपनी ने संविदाकार को जुलाई 2015 और अक्टूबर 2019 के मध्य ₹5.66 करोड़ की राशि निर्गत की थी।

इस प्रकार, निधि की प्राप्तियों तक व्यय को प्रतिबंधित करने में कंपनी की विफलता ने परियोजना प्राधिकरण से ₹6.85 करोड़[10] की गैर-वसूली का मार्ग प्रशस्त किया।

उप महाप्रबंधक, जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड इकाई 8 राजौरी, ने कहा (मई 2019) कि कार्य राज्य सरकार के लोक निर्माण कार्य मंत्री के मौखिक निर्देशों पर आरंभ और पूर्ण किया गया था तथा परियोजना प्राधिकरण ने निधियों के निर्मोचन का आश्वासन दिया था। यह भी कहा गया था कि कई अनुस्मारकों के बावजूद परियोजना प्राधिकरण और नाबार्ड ने सितंबर 2011 के बाद निधियाँ निर्गत नहीं की थी।

जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कंपनी ने पर्याप्त निधियों की प्राप्ति के बिना ही सब-स्ट्रक्चर का कार्य और नाबार्ड से निधियों के प्राधिकरण के बिना सुपर स्ट्रक्चर का कार्य निष्पादित किया। इसके अलावा, समय-समय पर कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित लागत प्रस्तावों पर प्रशासनिक अनुमोदन निर्माण कार्यों के निष्पादन के पश्चात् भी प्राप्त नहीं किया गया था। इस तरह ₹6.85 करोड़ का अधिक व्यय कंपनी ने अपने संसाधनों से किया था जिसे परियोजना प्राधिकरण से वसूल नहीं किया जा सका।

यह मामला जून 2020 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था; उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

यह अनुशंसा की जाती है कि परियोजना प्राधिकरण की ओर से किये गये अधिक व्यय की वसूली के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाने चाहिए और निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरांत परियोजनाओं का निष्पादन किया जाना चाहिए।

---

[10] किए गए कार्य के मूल्य (₹8.40 करोड़) और प्राप्त निधियों (₹1.55 करोड़) का अंतर।

7.3 प्रशासनिक ओवरहेडों की कम वसूली

परियोजना प्राधिकारी के निकी तवी पुल के निर्माण हेतु ₹20.50 करोड़ तक कार्य के मूल्य को प्रतिबंधित करने के स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद, कंपनी ने संस्वीकृत लागत को बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.64 करोड़ के प्रशासनिक ओवरहेडों की कम वसूली हुई।

सितंबर 2014 की बाढों के कारण निकी तवी पुल की क्षति के परिणामस्वरूप, तवी नदी के आर-पार एकाकी छोटे गांव[11] को जोडने वाली सड़क बाधित हो गयी थी। क्षेत्र के लोगों द्वारा झेली गयी समस्याओं को कम करने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) ने (दिसंबर 2014), प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत पुल के ऊपर की ओर निकी तवी नदी के ऊपर 300 मीटर स्पैन प्री-स्ट्रैस्ड कंक्रीट डबल लेन पुल का निर्माण जीओजेएण्डके के लोक निर्माण विभाग को आबंटित किया। मुख्य अभियंता, सड़क और भवन (आरएण्डबी), जम्मू (परियोजना प्राधिकारी) ने पुल के निर्माण का कार्य जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) को ₹20.50 करोड़ की अनुमानित लागत पर आबंटित (दिसंबर 2014) किया। कंपनी ने परियोजना हेतु ₹30.25 करोड़ का लागत प्रस्ताव प्रस्तुत (दिसंबर 2014) किया। लागत प्रस्ताव परियोजना प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था और कंपनी को ₹20.50 करोड़ की संस्वीकृत लागत में कार्य को प्रतिबंधित करने का अनुदेश (दिसंबर 2014) दिया गया। तदनुसार, परियोजना प्राधिकारी द्वारा ₹20.50 करोड़ की संस्वीकृत राशि निर्गत की गयी थी।

कंपनी को परियोजना लागत पर प्रशासनिक ओवरहेडों को 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित करना अपेक्षित था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2018) से पता चला कि परियोजना प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये ₹30.25 करोड़ के लागत प्रस्ताव के अनुमोदन के बिना कंपनी ने पुल के निर्माण का कार्य टर्नकी आधार पर एक संविदाकार[12] को ₹21.72 करोड़ की

---

11 लगभग 45 गाँवों नामतः राम बाग, कुल्लाईन, सूरा चक, गनशाउ चक, किरपोलपुर, नांदियां, मंडल फिलान, सरदारे चक, वजीर चक टॉप, सुम्ह, हरि पुर, तकुतेरा, सुआनजियां, मुकुईल, लोहरा कलियां इत्यादि को मिलाकर।

12 मैसर्स ए. के. कंस्ट्रक्शन, बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स।

अनुमानित लागत पर आबंटित[13] (जून 2015) किया। संविदाकार द्वारा पुल का निर्माण कार्य (नवंबर 2015 में) आरंभ तथा मार्च 2017 में पूरा किया गया, जिसके प्रति कंपनी ने ₹20.13 करोड़ का व्यय (मार्च 2020) किया था। तदनुसार, अनुप्रयोज्य प्रशासनिक ओवरहेड ₹2.01 करोड़ तक हो गये।

तथापि, संशोधित लागत के अनुमोदन के बिना पुल के निर्माण हेतु कार्य के निष्पादन का परिणाम पुल के समापन की तिथि से दो से अधिक वर्षों के बीत जाने के बावजूद ₹1.64[14] करोड़ के प्रशासनिक ओवरहेडों की कम वसूली के रूप में हुआ। इसने कंपनी की लाभप्रदता और प्रशासनिक लागत प्राप्त करने की इसकी क्षमता को प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित (जून 2018) किए जाने के उपरांत, उप महाप्रबंधक इकाई 7 जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम ने कहा (जून 2019) कि ₹21.72 करोड़ की अनुमानित लागत हेतु आबंटन, संविदा समिति के निर्णयानुसार था तथा परियोजना की वास्तविक लागत ₹30.25 करोड़ थी और आबंटित कार्य लागत प्रस्ताव के अंदर था।

जवाब तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ₹30.25 करोड़ की प्रारंभिक लागत, परियोजना प्राधिकारी द्वारा स्वीकार (दिसंबर 2014) नहीं की गई थी और ₹20.50 करोड़ की संस्वीकृत लागत के अंदर कार्य को प्रतिबंधित करने के स्पष्ट अनुदेश दिये गये थे, इसके अलावा, ₹1.64 करोड़ की राशि के प्रशासनिक ओवरहेडों की वसूली नहीं की गयी थी।

यह मामला सरकार/ कंपनी को मई 2020 में भेजा गया; उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

कंपनी निष्पादित परियोजनाओं पर प्रशासनिक खर्चों की वसूली सुनिश्चित कर सकती है।

---

13 जीओजेएण्डके की संविदा समिति की अनुशंसाओं (अप्रैल 2015) के आधार पर।

14 ₹20.13 करोड़ के किये गये व्यय तथा ₹2.01 करोड़ (₹20.13 करोड़ के व्यय का 10 प्रतिशत) के प्रशासनिक ओवरहेडों को जोड़कर और परियोजना प्राधिकरण से प्राप्त ₹20.50 करोड़ की राशि घटाकर ₹1.64 प्राप्त होता है।

विद्युत विकास विभाग

जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड

7.4 अनुमोदित लागत से अधिक में कार्य का निष्पादन

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अनुमोदित लागत के अनुसार कार्य के निष्पादन में कंपनी की विफलता से ₹1.92 करोड़ की वित्तीय हानि हुई, इसके अलावा वर्ष 2014-15 से आरईसी से ₹4.67 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई।

भारत सरकार (जीओआई) द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के माध्यम से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) आरंभ (अप्रैल 2005) की गई। यह योजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा राज्य के सात जिलों[15] में कार्यान्वित की जानी थी। कंपनी ने, निविदाओं को आमंत्रित करने के उपरान्त, तीन जिलों में संविदा को मैसर्स पीर पंचाल कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड संयुक्त उद्यम (संविदाकार) को (दिसंबर 2009) सौंपा। कार्य लैटर ऑफ इन्टेन्ट के जारी होने की तिथि से 12 महीनों में पूरा किया जाना अपेक्षित था। जिला/ परियोजना-वार स्थिति को तालिका 7.4.1 में विस्तृत किया गया हैः

तालिका 7.4.1: आरजीजीवीवाई परियोजनाओं की जिला/ परियोजना-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना	प्रारंभिक संस्वीकृत लागत	प्रदान की गई लागत	संशोधित संस्वीकृत लागत	समापन की तिथि	देरी महीनों में
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजौरी	29.97	37.77	79.97	मई 2014	41
2.	पुंछ	16.96	18.42	26.59	फरवरी 2014	38
3.	डोडा	37.64	45.02	57.40	जनवरी 2015	49
कुल		**84.57**	**101.21**	**163.96**		

(स्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना/ आबंटन आदेश)

कंपनी ने आरईसी से ₹156.57 करोड़ की कुल राशि प्राप्त की जैसा कि तालिका 7.4.2 में विस्तृत किया गया है।

[15] अनंतनाग, बारामूला, डोडा, पुंछ, पुलवामा, कुपवाडा और राजौरी।

तालिका 7.4.2: तीन जिलों में आरजीजीवीवाई कार्यों के निष्पादन हेतु प्राप्त राशि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आरजीजीवीवाई परियोजना	आरईसी से प्राप्त राशि	परियोजना के समापन पश्चात् आरईसी द्वारा अनुमोदित राशि	किया गया व्यय	आरईसी द्वारा अनुमोदित राशि पर अतिरिक्त व्यय	जेएण्डके विद्युत विकास विभाग को हस्तांरित माल सूची का मूल्य	वित्तीय हानि	अभी तक आरईसी से अप्राप्त राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=(5-3)**	**7**	**8=(6-7)**	**9=(4-3)**
1.	राजौरी	79.76	80.34	82.74	2.40	0.93	1.47	0.58
2.	पुंछ	25.65	25.65	26.72	1.07	0.62	0.45	-
3.	डोडा	51.16	अनुमोदित नहीं	55.25	-	1.18	शून्य	4.09[16]
	कुल	**156.57**	**105.99**	**164.71**	**3.47**	**2.73**	**1.92**	**4.67**

(स्रोतः कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई भौतिक/ वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन/ सूचना)

निर्माण कार्य कुल ₹164.71 करोड़ का व्यय करते हुए, समापन की निर्धारित तिथि से 38 और 49 महीनों की देरी से पूर्ण किये गये थे। ₹164.71 करोड़ के इस व्यय में से, कंपनी ने राजौरी एवं पुंछ जिलों की आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के संबंध में ₹109.46 करोड़ का व्यय किया था। राजौरी एवं पुंछ जिलों की परियोजनाओं के समापन प्रस्ताव आरईसी द्वारा ₹105.99 करोड़ के लिए अनुमोदित किये गए थे। डोडा जिले में आरजीजीवीवाई निर्माण कार्य कंपनी द्वारा ₹55.25 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् जनवरी 2015 में बंद कर दिये गये थे। समापन प्रस्ताव, आरईसी (जुलाई 2020) द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2017) से पता चला कि कंपनी के जवाब में उल्लिखित देरी के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निविदा की प्रक्रिया में देरी, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) प्रकरण, निष्पादन के दौरान जन बाधा, खराब मौसम और बर्फ प्रवण एवं दुर्गम क्षेत्र इत्यादि सम्मिलित थे। कंपनी ने आरईसी से प्राप्त ₹156.57 करोड़ की राशि के प्रति ₹164.71 करोड़ का व्यय किया था, जैसा कि उपर्युक्त तालिका 7.4.2 में दर्शाया गया है। राजौरी एवं पुंछ जिलों की आरजीजीवीवाई परियोजनायों के संबंध में समापन प्रस्ताव जिन पर कंपनी ने ₹109.46 करोड़ का

[16] डोडा का समापन प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया, इसलिए किया गया व्यय (₹55.25 करोड़) प्राप्त राशि से कम (₹51.16 करोड़) ₹4.09 करोड़ के बराबर है।

व्यय किया था, उन्हें आरईसी द्वारा ₹105.99 करोड़ हेतु अनुमोदित किया गया था। जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास विभाग (जेकेपीडीडी) से हस्तांतरित/ वसूली योग्य ₹1.55 करोड़ की अधिशेष मालसूची के मूल्य को ध्यान में रखने के पश्चात्, कंपनी को अनुमोदित लागत से अधिक व्यय के कारण ₹1.92 करोड़ की वित्तीय हानि वहन करनी थी। इसके अतिरिक्त, राजौरी के समापन प्रस्ताव में अनुमोदित ₹80.34 करोड़ की राशि के प्रति आरईसी से अभी तक ₹79.76 करोड़ ही प्राप्त हुए थे, जिसका परिणाम ₹0.58 करोड़ की गैर-प्राप्ति के रूप में हुआ।

डोडा जिले में आरजीजीवीवाई कार्यों के समापन प्रस्ताव, कंपनी द्वारा कार्य-समाप्ति (जनवरी 2015) की तिथि से 64 महीनों के बीत जाने के बावजूद भी आरईसी ने अनुमोदित नहीं किये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2017) कि डोडा जिले से संबंधित कार्य चिह्नित स्थान पर भू-स्खलन के बाद वैकल्पिक भूमि की अनुपलब्धता और वन निर्बाधता की आवश्यकता के कारण पूर्ण नहीं किए गए थे। कंपनी द्वारा डोडा जिले में ₹55.25 करोड़ का अंतिम व्यय बुक किया गया था जिसके प्रति आरईसी ने ₹51.16 करोड़ की राशि की निधियाँ निर्गत की थी, जिसका परिणाम ₹4.09 करोड़ की गैर-प्राप्ति के रूप में हुआ। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास विभाग से हस्तांतरित अधिशेष माल सूची से संबंधित ₹1.18 करोड़ की राशि वसूली योग्य है।

जवाब में मुख्य अभियंता, जेनेरेशन विंग, जम्मू ने कहा (जुलाई 2020) कि डोडा परियोजना का समापन प्रस्ताव लंबित है क्योंकि संविदाकार द्वारा निर्मित पाँच रिसीविंग स्टेशन (33/ 11 केवी) अभी तक संबंधित उपयोज्यताओं को नहीं सौंपे गए हैं। यह भी कहा गया था कि विद्युत विकास विभाग को सुपुर्द की गई अधिशेष सामग्री आरईसी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी बल्कि कंपनी द्वारा इसके अपने संसाधनों से अधिप्राप्त की गई थी जिसे विद्युत विकास विभाग से वसूल किया जाना था।

जवाब तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने आरईसी द्वारा प्रदान की गई अनुमोदित वित्तीय लागत से परे राजौरी और पुंछ परियोजनाओं पर अधिक व्यय किया था जिसने ₹1.92 करोड़ की वित्तीय हानि का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अलावा, कंपनी डोडा परियोजना के निर्माण कार्यों को पूरा नहीं कर पायी थी और

वर्ष 2014-2015 से आरईसी से ₹4.67 करोड़ (राजौरीः ₹0.58 करोड़; डोडाः ₹4.09 करोड़) प्राप्त नहीं कर सकी।

यह मामला मई 2020 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था; उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

यह अनुशंसा की जाती है कि कंपनी/ सरकार को अनुमोदित लागत के अंदर समय पर कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करना चाहिए।

श्रीनगर/ जम्मू
दिनांक: 11 फरवरी 2021

(इला सिंह)
प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 02 मार्च 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक